1/5/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट स्टीफनगंज में पेश हुई।
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर आपसी बाद
समझौता कर लिया है। इस लिहाज अब प्रार्थना
पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है।
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो (8210)
बाद तकमील संलग्न बाद हो।